न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज

राजस्व लोक अदालत–न्याय आपके द्वार 2018

पीठासीन अधिकारीः–राजलक्ष्मी गहलोत, आर.ए.एस.
मुकदमा नम्बरः–87/2016 प्रार्थना पत्र

उनवान

1–नाथुलाल पिता प्रताप गुर्जर निवासी मासिंगपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज0)
2–रामा पिता प्रताप गुर्जर निवासी मासिंगपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज0)
3–मु0 दाखी पिता प्रताप गुर्जर निवासी मासिंगपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज0)
4–मु0 शंकरी पिता प्रताप गुर्जर निवासी मासिंगपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज0)
5–मु0 गहरी पिता प्रताप गुर्जर निवासी मासिंगपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज0)
6–मु0 हीरू पिता प्रताप गुर्जर निवासी मासिंगपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज0)

प्रार्थीगण

बनाम

1–पारस पिता उदा गुर्जर निवासी मासिंगपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज0)
2–जयराम पिता उदा गुर्जर निवासी मासिंगपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज0)
3–शंभूलाल पिता उदा गुर्जर निवासी मासिंगपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज0)
4–प्रकाश पिता उदा गुर्जर बविलायत माता संतु पत्नी उदा गुर्जर निवासी मासिंगपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज0)
5–रतन पिता उदा गुर्जर बविलायत माता संतु पत्नी उदा गुर्जर निवासी मासिंगपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज0)
6–कन्हैयालाल पिता उदा गुर्जर बविलायत माता संतु पत्नी उदा गुर्जर निवासी मासिंगपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज0)
7–मु0 संतु पत्नी उदा गुर्जर निवासी मासिंगपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज0)
8–देउ पुत्री उदा गुर्जर निवासी मासिंगपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज0)
9–अणछी पुत्री उदा गुर्जर निवासी मासिंगपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज0)
10–सीता पुत्री उदा गुर्जर निवासी मासिंगपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज0)
11–केलाशी पुत्री उदा गुर्जर निवासी मासिंगपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज0)
12–मीना पुत्री उदा गुर्जर बविलायत माता संतु पत्नी उदा गुर्जर निवासी मासिंगपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज0)
13–इन्द्रा पुत्री उदा गुर्जर बविलायत माता संतु पत्नी उदा गुर्जर निवासी मासिंगपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज0)
14–लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाडा

विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आर0टी0एक्ट.

उपस्थित

1. जाकिर हुसैन– अधिवक्ता प्रार्थीगण
2. महेन्द्र सिंह चुण्डावत अधिवक्ता विपक्षीगण

निर्णय

दिनांक 06.06.2018

पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार/केम्प रायपुर मे पेश हुई। प्रकरण का सक्षेप मे विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीगण के खातेदारी अधिकारों की कृषि आराजियात ग्राम मासिंगपुरा पटवार हल्का मोखुन्दा के खाता संख्या 154 में अंकित आराजी संख्या 935 रकबा 0.26

है0 आराजी संख्या 936 रकबा 0.21 है0, आराजी संख्या 937 रकबा 0.22 है0 आराजी संख्या 938 रकबा 0.34 है0 भूमियां अन्य आराजियात के साथ स्थित है तथा खाता संख्या 176 में चाह संख्या 934 रकबा 0.03 है0 स्थित है। जिसमें प्रार्थीगण का 1/2 हिस्सा है। प्रमाण में वर्तमान जमाबन्दी एवं नक्शा ट्रैस प्रार्थनापत्र के साथ पेश है। प्रार्थनापत्र की कलम संख्या एक में अंकित प्रार्थीगण की कृषि आराजियात व चाह पर आवागमन का एक मात्र विद्यमान रास्ता गांव से आने वाली सरकारी रास्ता संख्या 983 में होकर विपक्षीगण की आराजी संख्या 975, 976, 972, 971 में होता हुआ प्रार्थीगण के चाह व आराजी तक जाता है तथा प्रार्थीगण अपने पूर्वजों के समय से इसी रास्ते का उपयोग करते हुए चले आ रहे हैं जिसे करीब 100 वर्ष हो गए हैं तथा चाह में विपक्षीगण का भी 1/2 हिस्सा है। प्रार्थीगण की आराजी के दक्षिण में विपक्षीगण की आराजी संख्या 940 है जिसमें विपक्षीगण प्रार्थीगण की आराजी में होकर आवागमन करते है। प्रमाण में विपक्षीगण की जमाबन्दी प्रार्थनापत्र के साथ पेश है। प्रार्थीगण की कृषि आराजियात व चाह पर आवागमन का एक मात्र रास्ता सरकारी रास्ता संख्या 983 में होकर विपक्षीगण की आराजी संख्या 975, 976, 972, 971 की पाली पर होकर प्रार्थीगण की आराजियात व चाह तक जाता है तथा इसके अलावा प्रार्थीगण की आराजियात में आवागमन का कोई रास्ता मौके पर मौजुद नहीं है। विपक्षीगण ने दो माह पूर्व आराजी संख्या 975 पर पत्थर की कच्ची दीवार बनाकर व आराजी संख्या 976 की पाली पर डोल डालकर प्रार्थीगण के आवागमन के रास्ते को बंद कर दिया है। तथा प्रार्थीगण को अपने खेतों में आवागमन करने से रोक दिया है जिससे प्रार्थीगण अपने खेतों में आवागमन नही कर पा रहे हैं तथा अपने खेतों में खाद नहीं डाल पाए एवं बुआई का समय होने से प्रार्थीगण अपने खेतों की हकाई बुआई नहीं कर पाए जिससे प्रार्थीगण के खेत ऐसे ही पड़ हुए है। प्रार्थीगण गरीब काश्तकार हैं तथा उनके जीवन यापन का एकमात्र जरिया कृषि भूमि ही है यदि प्रार्थीगण को विपक्षीगण के खेतों से आवागमन नहीं करने दिया गया तो प्रार्थीगण अपने खेतों में काश्त नहीं कर पाएंगे जिससे प्रार्थीगण एवं उनका परिवार भूखे मरने की स्थिति में आ जाएगा। प्रार्थीगण को अपनी कृषि आराजियात में ट्रेक्टर, संज, बैल गाडी आदि से आवागमन के लिए विपक्षीगण की आराजी संख्या 975, 976, 972, 971 की पाली पर 15 फीट चौडे रास्ते की अत्यंत आवश्यकता है इसके बिना प्रार्थीगण अपनी कृषि आराजियात में आवागमन नहीं कर पाएंगे। रास्ते के उपयोग में आने वाली विपक्षीगण की आराजी की भूमि का प्रार्थीगण डी.एल.सी. दर से प्रतिफल देने के लिए तैयार है। प्रार्थीगण को विपक्षीगण के विरूद्ध बिनाय प्रार्थनापत्र दिनांक 23.04.2016 से उत्पन्न होकर निरंतर जारी है।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के आधार पर प्रकरण दिनांक 24.06.2016 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को नोटिस जारी किये गये। नोटिस की पालना में विपक्षी संख्या दो एवं सात की ओर से अधिकार पत्र महेन्द्र सिंह चुण्डावत एडवोकेट ने पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया। विपक्षी संख्या एक एवं तीन से छः व आठ से तेरह बावजूद सूचना के उपस्थित नहीं होने से एक तरफा कार्यवाही की गई। विपक्षी संख्या दो एवं सात की ओर से जबाव पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया। तहसीलदार रायपुर द्वारा रिपोर्ट पेश की जो शामिल पत्रावली की गई। राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार में भी नोटिस जारी किये गये। नोटिस की पालना में प्रार्थी नाथू एवं विपक्षी जयराम उपस्थित हुए जिन्होंनें राजीनामा पत्र पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया। प्रस्तुत राजीनामे के अनुसार प्रार्थीगण की आराजियात खाता संख्या 154 व विपक्षीगण व प्रार्थीगण खाता संख्या 176 कुंआ सामलाती है पर जाने का ट्रेक्टर का रास्ता विपक्षीगण की आराजी संख्या 975, 976, 972, 971 से दिया जाने पर सहमत हुए हैं। विपक्षीगण की आराजी संख्या 940 पर ट्रेक्टर से कुंए से आगे जाने का आराजी संख्या 935, 938 की पश्चिमी पाली पर धोरा है में से रास्ता ट्रेक्टर का प्रार्थीगण देने में सहमत है। उक्तानुसार हाल खाता व नक्शे में लाल स्याही से रास्ता बिलानाम दर्ज कर दिया जावे उक्त रास्ता इस कुएं की जमीन वालों के ही रहेगा, अन्य खेतों हेतु नहीं, प्रवेश द्वार प्रार्थीगण ठीक करायेगा। जहां से आराजी संख्या 975 में प्रवेश करेंगें। दोनों पक्ष एक दुसरे की आराजी में नुकासान नहीं करायेंगें। व रास्ता की सीमा पर दीवार बाड थोहर, कंटींली बाड लगायेंगें। उक्त रास्ते की जमीन के बदले रास्ता दिया गया है। कोई राशि लेना देना तय नहीं हुआ है।

मैने पत्रावली का अवलोकन किया तथा प्रस्तुत राजीनामे के अनुसार ग्राम मांसिगपुरा पटवार हल्का मोखुन्दा में उभय पक्ष के मध्य रास्ते के विवाद का समझौता इस प्रकार किया गया कि प्रस्तुत राजीनामे के अनुसार प्रार्थीगण की आराजियात खाता संख्या 154 व विपक्षीगण व प्रार्थीगण खाता संख्या

176 कुंआ सामलाती है पर जाने का ट्रेक्टर का रास्ता विपक्षीगण की आराजी संख्या 975, 976, 972, 971 से दिया जाने पर सहमत हुए हैं। विपक्षीगण की आराजी संख्या 940 पर ट्रेक्टर से कुंए से आगे जाने का आराजी संख्या 935, 938 की पश्चिमी पाली पर धोरा है। रास्ता ट्रेक्टर का प्रार्थीगण देने में सहमत है। उक्तानुसार हाल खाता व नक्शे में लाल स्याही से रास्ता दर्ज कर दिया जावे उक्त रास्ता इस कुएं की जमीन वालों के ही रहेगा अन्य खेतों हेतु नहीं, प्रवेश द्वार प्रार्थीगण ठीक करायेगा। जहां से आराजी संख्या 975 में प्रवेश करेंगें। दोनों पक्ष एक दुसरे की आराजी में नुकासान नहीं करायेंगें। व रास्ता की सीमा पर दीवार बाड थोहर, कंटींली बाड लगायेंगें। उक्त रास्ते की जमीन के बदले रास्ता दिया गया है। कोई राशि लेना देना तय नहीं हुआ है। प्रकरण में निर्णय गुणावगुण पर न होकर आपसी समझौते से किया जा रहा हैं। समझौता इस निर्णय का भाग रहेगा। उक्तानुसार रास्ता राजस्व रिकार्ड में दर्ज कराया जाने का आदेश दिया जाना न्यायोचित प्रतित होता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण अपने प्रार्थना पत्र को सिद्ध कराने मे सफल रहने के कारण प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित समझता हुं। अतः

आदेश

ग्राम मांसिगपुरा पटवार हल्का मोखुन्दा में उभय पक्ष के मध्य रास्ते के विवाद का समझौता इस प्रकार किया गया कि प्रस्तुत राजीनामे के अनुसार प्रार्थीगण की आराजियात खाता संख्या 154 व विपक्षीगण व प्रार्थीगण खाता संख्या 176 कुंआ सामलाती है पर जाने का ट्रेक्टर का रास्ता विपक्षीगण की आराजी संख्या 975, 976, 972, 971 से दिया जाने पर सहमत हुए हैं। विपक्षीगण की आराजी संख्या 940 पर ट्रेक्टर से कुंए से आगे जाने का आराजी संख्या 935, 938 की पश्चिमी पाली पर धोरा है। रास्ता ट्रेक्टर का प्रार्थीगण देने में सहमत है। उक्तानुसार हाल खाता व नक्शे में लाल स्याही से रास्ता दर्ज कर दिया जावे उक्त रास्ता इस कुएं की जमीन वालों के ही रहेगा अन्य खेतों हेतु नहीं, प्रवेश द्वार प्रार्थीगण ठीक करायेगे। जहां से आराजी संख्या 975 में प्रवेश करेंगें। दोनों पक्ष एक दुसरे की आराजी में नुकासान नहीं करायेंगें। व रास्ता की सीमा पर दीवार बाड थोहर, कंटींली बाड लगायेंगें। उक्त रास्ते की जमीन के बदले रास्ता दिया गया है। कोई राशि लेना देना तय नहीं हुआ है। प्रकरण में निर्णय गुणावगुण पर न होकर आपसी समझौते से किया जा रहा हैं। समझौता इस निर्णय का भाग रहेगा। तहसीलदार रायपुर की रिपोर्ट एवं संलग्न नक्शा ट्रेस दिनांक 07.06.2017 के अनुसार बिलानाम गैमु0 रास्ता राजस्व रिकार्ड में दर्ज कराया जाने का आदेश तहसीलदार रायपुर को दिया जाता है।

राजलक्ष्मी गहलोत
आर.ए.एस.
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा

निर्णय आज दिनांक 06.06.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा